


राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक एफ.5(1)आ.प्र.एवं सहा./पशु शिविर/2021/6368-8) जयपुर, दिनांक 2/5/2022

आदेश

विभागीय अधिसूचना क्रमांक 6253-90 दिनांक 28.4.2022 द्वारा सम्वत् 2078 की अभाव अवधि दिनांक 31.7.2022 तक बढ़ाई जा चुकी है। अतः अभावग्रस्त जिलों में लघु एवं सीमान्त कृषकों के पशुओं के संरक्षण हेतु संचालित राहत गतिधियों (यथा पशुशिविर एवं चारा डिपो) एवं जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा अभावग्रस्त क्षेत्रों में करवाये जा रहे आपातकालीन पेयजल परिवहन की तिथि भी तुरन्त प्रभाव से दिनांक 31.7.2022 तक बढ़ाई जाती है।


शासन सचिव

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राज0, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज0, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी, राज0, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, पशुपालन एवं गोपालन, जयपुर
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
8. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर, जोधपुर एवं उदयपुर।
9. निजी सचिव, जिला प्रभारी सचिव, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, पाली, नागौर एवं चूरू, राज0।
10. जिला कलक्टर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, पाली, नागौर एवं चूरू को प्रेषित कर लेख है कि 31 जूलाई, 2022 के पश्चात् राहत सहायता की कोई स्वीकृति जारी नहीं की जावेगी।
11. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, जयपुर।
12. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
13. प्रोग्रामर, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।


संयुक्त शासन सचिव